न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :125 / 2024
निर्णय दिनांक : 20.06.2025
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 253

लिछमणराम पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उपस्थित :–

1. श्री आनन्द सिंह राठौड़ एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 261 के खसरा संख्या 627 / 300 तादादी 1.8714 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय गलती से वादी के पिता का नाम श्रीलाल खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम शिवलाल है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है।

राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत खाता संख्या 261 के खसरा संख्या 627 / 300 तादादी 1.8714 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी का नाम लिछमणराम पुत्र श्रीलाल दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम लिछमणराम पुत्र शिवलाल दर्ज है। शिवलाल एवं श्रीलाल दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। अतः वादी के का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे लिछमणराम पुत्र शिवलाल किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम लिछमण राम पुत्र शिवलाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि चूरू खेत खाता संख्या 261 के खसरा संख्या 627/300 तादादी 1.8714 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ ज़िला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम लिछमणराम पुत्र श्रीलाल के स्थान पर लिछमणराम पुत्र शिवलाल खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को टंकित करवाया जाकर अज अदालत में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़, जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

लिछमणराम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा न0 125 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री आनन्द सिंह राठौड़ एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि चूरू खेत खाता संख्या 261 के खसरा संख्या 627 / 300 तादादी 1.8714 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम लिछमणराम पुत्र श्रीलाल के स्थान पर लिछमणराम पुत्र शिवलाल खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज..मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 20 **माह 06. 2025**

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये